03/02/2021

पत्रावली पुकार की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रा.पत्र का खण्डन नहीं किया गया न ही प्रकरण में भाग लिया है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है विपक्षीगण द्वारा बिना विभाजन बाबत आराजी के किसी विशेष भू-भाग का अन्तरण कर दिए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना स्वाभाविक होगा तथा विवाद वृद्धि भी होगी प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थी का प्रा.पत्र 212 R.T.A स्वीकार किया जाता है तथा आदेश अस्थायी दिनांक 29.06.2020 का जारी अस्थायी निषेधाज्ञा कायम की जाती है तथा मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा आकोलाकुर्द प० ह० [illegible] खसरा 10 की ख० नं० [illegible] हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एवं खाता संख्या 9 की आराजी नम्बर 228 रकबा 0.2700 हेक्टेयर भूमि से संबंधित राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखे उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करें स्वयं या दावान किसी प्रतिनिधि के माध्यम करावें। निर्णय शुदा व्याख्यात्मक लिखाया जावे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरों से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner